भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 893653

24 OCT 2016

गाजीपुर

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

श्री सुखई सिंह एजुकेशनल मेमोरियल एण्ड सोशल ट्रस्ट

<u>न्यास विलेख</u> (**Instrument of Trust**) :–

यह न्यास विलेख आज दिनांक 15.12.2016 को ग्राम व पोस्ट–यूसुफपुर (खड़बा), परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) में श्रीमती सुधा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह, ग्राम व पोस्ट–यूसुफपुर (खड़बा), परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया। जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रू0 5,000/– (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि है, जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करती है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि को उन्नति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, क्योंकि यह ट्रस्ट **श्री सुखई सिंह एजुकेशनल मेमोरियल एण्ड सोशल ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त मे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता

सुधा सिंह

क्रमशः—2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 893654

24 OCT 2016

गाजीपुर ट्रस्टी होगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रु0 5,000/– (रुपये पाँच हजार मात्र) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व पोस्ट–यूसुफपुर (खड़बा), परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) रहेगा। प्रशासनिक कार्यालय ग्राम व पोस्ट–यूसुफपुर (खड़बा), परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

श्री सुखई सिंह एजुकेशनल मेमोरियल एण्ड सोशल ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

(1) उद्देश्य एवं नियमावली :–

ट्रस्ट के उद्देश्य :– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

01. बिना लिंग भेद किये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, चिकित्सालय, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र,

क्रमशः—3

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत INDIA सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

BK 102643

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों, नशा उन्मूलन केन्द्र की स्थापना, नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

02. ग्राम विकास अभिकरण, गतिविधियों का संचालन करना।

03. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

04. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।

05. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

06. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

07. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

08. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

09. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथिरेपी आदि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

सुधा सिंह

क्रमशः—4

Scanned with OKEN Scanner

15.12.16 — 4215

सुधा सिंह w/o अजय सिंह युसुफपुर (खड़बा) मरदह शादियाबाद गाजीपुर

कुमार

वरिष्ठ कोषाधिकारी
07 DEC 2016
गाजीपुर

सार पत्र

5,000.00	200.00	100	300.00	34
न्याय की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्रीमती सुधा सिंह
पत्नी श्री अजय सिंह
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी युसुफपुर(खडबा) पर0शा0बाद तह0जखनियाँ जिला गाजीपुर
अस्थायी पता 0

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 19/12/2016 समय 3:58PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री आनन्द कुमार सिंह
उप निबंधक
जखनियाँ
19/12/2016

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्रीमती सुधा सिंह
पत्नी श्री अजय सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी युसुफपुर(खडबा) पर0शा0बाद
तह0जखनियाँ जिला गाजीपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान अजय सिंह
जगदीश नरायन सिंह

पेशा कृषि

निवासी युसुफपुर(खडबा)पर0शा0बाद,जखनियाँ,गाजीपुर

व विकाश प्रताप सिंह
पारसनाथ सिंह

पेशा कृषि

निवासी सुजनीपुरपर0शा0बाद,जखनियाँ,गाजीपुर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

टिप्पणी निवासप्रमाणपत्र व गवाहों का आधारकार्ड

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री आनन्द कुमार सिंह
उप निबंधक
जखनियाँ
19/12/2016

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 102644

11. समाज के लोगों के लिये हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य निर्धारण करना।
13. अंधे, गूंगे, बहरे असहाय लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएँ, बैठकें, विशेष कक्षाएँ, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग के शिक्षा की व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज व अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

सुधा सिंह

क्रमशः—5

15.12.16 58/4.2.k

सुधा सिंह पत्नी अजय सिंह दुल्लहपुर (कस्बा) [illegible]
शादियाबाद - गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
07 DEC 2016
गाजीपुर

न्यासी

Registration No.: 58 Year : 2016 Book No. : 4

0101 सुधा सिंह

अजय सिंह

दुल्लहपुर(कस्बा) परगना शादियाबाद तहसील जखनियाँ जिला गाजीपुर

गृहिणी

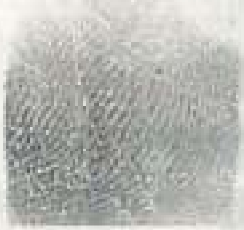

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 102645

20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य करना व उसका प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
26. पुस्तक–पुस्तिकाएँ, पत्र–पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, विक्रीत कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्स विधित आवश्यक व्यवस्थाएँ कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार, जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

क्रमशः—6

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

15.12.16 ... SM 4217

सुग्गी सिंह पु० अजय सिंह युसुफपुर (खजुरी) मरदह गाजीपुर

01 DEC 2016	
गाजीपुर	

गवाह

Registration No.: 58 Year: 2016 Book No.: 4

W1 अजय सिंह

जगदीश नरायन सिंह

युसुफपुर(खजुरी)पर०शा०बाद,जखनियाँ,गाजीपुर

कृषि

W2 विकाश प्रताप सिंह

पारसनाथ सिंह

सुजनीपुरपर०शा०बाद,जखनियाँ,गाजीपुर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 102646

32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिह्न आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थान/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के हितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएँ/वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण, मछलीपालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिये ही कार्य नही करेगा। जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिये जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।

क्रमशः—7

सुधा सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 102647

41. दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाना।

42. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन–प्रशासन तक पहुँचाना।

43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हास्टलों का निर्माण करना।

44. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना।

45. ट्रस्ट कारागार बन्दियों के अधिकारों के पोषण हेतु प्रयास करना एवं आवश्यकतनुसार राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको हितार्थ निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

46. धार्मिक स्थल की स्थापना, पूजा पंडाल की स्थापना व संचालन, सामाजिक समारोह, विवाह, उत्सव इत्यादि, वाटिका मैरिज हाल व टेन्ट हाउस का संचालन व व्यवस्था करना।

(2) <u>प्रारम्भिक उपबन्ध</u> :–

01. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **श्रीमती सुधा सिंह**, जो कि न्यासकर्ता/न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

02. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष **श्रीमती सुधा सिंह** द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाये तो **श्रीमती सुधा सिंह** की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट की मैनेजिंग/ट्रस्टी रहेंगे।

03. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकती है।

क्रमशः—8

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 102648

(3) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :—

01. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

02. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

03. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।

04. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

05. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिये कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष उल्लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

06. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

क्रमशः—9

सुधा सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BK 102649

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रुप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी के न प्रदान कर दे।

08. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया। कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

(4) <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज</u> :-

01. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकती है, जिसमें कि अधिकतम 21 सदस्य होंगे।

02. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकती है।

03. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकती है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगी।

04. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

05. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है।

क्रमशः---10

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 102650

इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(5) <u>अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टीज का कार्यालय एवं सुविधाएँ</u> :-

01. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

02. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगाता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगी। ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगी।

(6) <u>कार्यक्षेत्र</u> :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार</u> :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

क्रमशः---11

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 102651

(8) सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :-

01. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

02. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएँ, कार्य, नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

03. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसार पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति का हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

01. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिये एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

02. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएँ कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

क्रमशः—12

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 102652

03. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसार पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित सकता है।

(10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार व कर्तव्य होंगे :–

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के लिये उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार–विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी निर्णय नहीं ले सकता।

क्रमशः—13

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 237675

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिये ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :–

01. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

02. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

03. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

04. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।

05. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी भी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।

06. एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

07. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

08. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

क्रमशः—14

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 82AC 237676

(13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

01. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

02. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।

03. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(14) बैंक एकाउण्ट :-

01. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

02. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

क्रमशः—15

सुधा सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 237677

(16) <u>सम्पत्ति सम्बन्धी</u> :–

01. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक /व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

02. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/ लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

03. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

04. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति नियमानुसार रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है।

05. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिह्न, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

06. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी भी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

07. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभू की भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारित गिरवी विभाजित आदि कर सकता है अथवा ले सकता है, दे सकता है।

क्रमशः—16

सुधा सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 237678

(17) विशेष :—

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **श्री सुखई सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम /उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकता है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। **श्री सुखई सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **श्री सुखई सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

क्रमशः—17

सुधा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 237679

साक्षीगण :–

1. नाम – प्रताप सिंह पु० जगदीश नारायण सिंह

पता – कुसुमपुर पो० शादियाबाद गाजीपुर

9451004797

2. नाम – किरन प्रताप सिंह S/o श्री पारस नाथ सिंह

पता – ग्रा० + पो० – खुजनीपुर

प० – शादियाबाद, गाजीपुर

9454680789

सुधा सिंह

टंकणकर्ता – संतोष कुमार जायसवाल

दिनांक – 15.12.2016

मशविदाकर्ता –

संस्थापक – श्रीमती सुधा सिंह

संस्थापक / मैनेजिंग / ट्रस्टी / प्रबन्धक

श्री सुखई सिंह मेमोरियल

एजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट

मशविदा कर्ता

बिसर्जन सिंह यादव

रजि० नं० 98/9495

Scanned with OKEN Scanner

15.12.16

15.12.16 10 5911

वरिष्ठ कोषाधिकारी

24 OCT 2016

गाजीपुर

आज दिनांक 19/12/2016 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 35

पृष्ठ सं. 289 से 322 पर क्रमांक 58

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री आनन्द कुमार सिंह

उप निबंधक

जखनियाँ

19/12/2016

जखनियाँ ... उत्तर प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner